***जनपद – संतकबीरनगर*** ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 25.01.2024***

आज दिनांक 25.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

## *पीआरवी आफ द डे*

***पीआरवी 1485 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत अहमदपुर से इवेन्ट संख्या 00742 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (**अखिलेश सिंह पुत्र धनश्याम निवासी टिकरी थाना गुलरिहां जनपद गोरखपुर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 मेवालाल, मु0आ0 राकेश साहनी आ0चा0 अम्बरीश यादव।**

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनों से 34,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 25.01.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनों से 34,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 25.01.2024***

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 07 सीसीटीवी कैमरे***

*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 25.01.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 07 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 07 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

***जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.01.2024***

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के 03 अभियोगों में 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

***श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 25.01.2024 को ***सीजे(जेडी) एफटीसी प्रथम/जेएम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1601/2017, 1603/2017, 1605/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में क्रमश: अभियुक्तों नाम पता 01- सद्दाम पुत्र अख्तर हुसैन निवासी दुधारा, 02- जमाल पुत्र कमालुद्दीन उर्फ असरफ निवासी दुधारा, 03- अमाल उर्फ आमिर पुत्र कमालुद्दीन उर्फ अफसर निवासी दुधारा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बितायी गयी अवधि तथा 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 07 दिवस की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

***जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.01.2024***

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत 03 अभियुक्तों को 06-06 माह के कठोर कारावास तथा 2000-2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

***श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 25.01.2024 को ***अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1601/2017, 1604/2017, 1606/2017 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में क्रमश: अभियुक्तों का नाम पता 01- सद्दाम पुत्र स्व0 अख्तर हुसैन निवासी दुधारा, 02- अमाल उर्फ आमिर पुत्र कमालुद्दीन उर्फ अफसर निवासी दुधारा, 03- जमाल पुत्र कमालुद्दीन उर्फ अफसर निवासी दुधारा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत 06-06 माह का कठोर कारावास तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर प्रत्येक अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

*जनपद-संतकबीरनगर                    **प्रेस विज्ञप्ति**                    दिनांक 25.01.2024*

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 11 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 21,400 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

***श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 25.01.2024 को ***सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 262/2000 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 02- मु0अ0सं0 290/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 03- 394/2012 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 04- मु0अ0सं0 836/2015 धारा 147/149/336/353 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 05- मु0अ0सं0 190/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 06- मु0अ0सं0 1252/2009 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 07- मु0अ0सं0 283/2004 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, 08- मु0अ0सं0 943/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलों में क्रमशः दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 01- अब्दुल खालिक पुत्र अब्दुल हमीद निवासी सफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 200 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- एखलाक कसाई पुत्र इरशाद निवासी साफियबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- इशरार पुत्र सहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- इकबाल अहमद पुत्र हद्दीश निवासी छपिया माफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 147/149/336/353 भा0द0वि0 के अपराध के प्रत्येक धारा में 100-100 रु0 व धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में 2000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत 600 रुपये ( कुल 3000 रु0) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मुशीर पुत्र सरीफ निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- इशरार व चिमनू उर्फ चिकनू उर्फ मुच्छड़ निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर में प्रत्येक अभियुक्त को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

07- अकबाल पुत्र मुस्ताक उर्फ बूढ़े,चिमन उर्फ चिमनू पुत्र शहीद व इरशाद उर्फ दम्मड़ पुत्र उस्मान निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

08- मुशीर पुत्र शरीफ निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।